73

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2392—दो/2001 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—10—2001 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 13/निगरानी/99—2000

.....

सेवाराम पुत्र श्री छोटेलाल यादव,
निवासी—ग्राम कोषण, टप्पा सुरपुरा,
तहसील अटैर जिला भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

भूरा देवी विधवा फूलसिंह यादव
निवासी ग्राम कोषण तहसील अटैर
जिला—भिण्ड, हाल निवासी—सयपुरा
गुर्जर तहसील वाह, जिला आगरा
उ0प्र0

.....अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बेनीराम शर्मा एवं श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/निगरानी/99—2000 में पारित आदेश दिनांक 30—10—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील अटैर के ग्राम कोषण में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 1519,1541,1590,1636,1638,1643,1644,1577, एवं 1635 कुल किता 9 कुल रकवा 4.807 आरे में हिस्सा 1/5 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी छोटेलाल यादव निवासी ग्राम

कोषण थे । आवेदक सेवाराम द्वारा विवादित भूमि पर अभिलिखित भूमि स्वामी छोटे लाल के स्थान पर अपने नाम वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने वावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया। कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण आवेदक के साक्ष्य आदि ली जाकर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.06.97 द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 11.04.90 के आधार पर ग्राम कोषण में स्थित विवादित भूमि पर आवेदक के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.97 से दुखी होकर अनावेदिका मुरादेवी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण 20/96–97 अपील माल पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 30.09.97 द्वारा प्रस्तुत अपील ऑशिक रूप से स्वीकार करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया और प्रकरण सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत आदेश पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। प्रकरण विचारण न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः उभयपक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत अभिलेखों की विवेचना करने के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 18.03.98 द्वारा विवादित भूमि पर वसीयतनामा दिनांक 11.04.98 के आधार पर आवेदक के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.98 से परिवेदित होकर अनावेदिका मुरादेवी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो प्रकरण कमांक 40/97–98 अपील माल पर दर्ज हुई तथा उसमें पारित आदेश दिनांक 19.11.98 द्वारा प्रस्तुत अपील को ऑशिक स्वीकार करते हुये, प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्याावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.98 के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड के यहां की गई, जिसे कलेक्टर, भिण्ड द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.98 निरस्त किया गया। परिणामतः अनावेदिका मुरादेवी द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष यह निगरानी पेश की है। प्र0 क्र0 13/1999–2000/निग0 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 30.10.2001 को अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अनावेदिका के हित में आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष अनावेदिका ने अपील प्रस्तुत की थी वह अवधि बाह्य थी। विलम्ब क्षमा किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । अनावेदिका ने तो अवधि विधान का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रसतुत किया था, उसके विम्लब होने का समुचित स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया है। अवधि विधान के सम्बध में स्पष्ट आपत्ति आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष उठाई गई थी तथा इस आपत्ति का उल्लेख विवादित आदेश के पद क्रमांक 4 में किया गया है किन्तु इस आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया । जबकि सर्वप्रथम समयावधि की आपत्ति का निराकरण किया जाना चाहिये था । उन्होंने ने तर्क में यह भी बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित किये जाने के पश्चात उस प्रकरण में कोई दिलचस्पीं नहीं दिखाई गई । वर्तमान प्रकरण स्थितियों के बारे में बार –बार प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना न्यायोचित नहीं है । जब पूर्व में अनावेदिका द्वारा प्रत्यावर्तन का लाभ नहीं लिया गया है तब पुनः प्रत्यावर्तन करने का औचित्य नहीं है । अपर आयुक्त ने मात्र अनुमानों के आधार पर आदेश पारित किया है जो कि न्यायोचित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदिका के ससुर छोटेलाल के दो पुत्र सेवाराम तथा फूलसिंह थे। फूलसिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी भूरादेवी ही एकमात्र वारिस है । छोटेलाल के फौत हो जाने के बाद आवेदक सेवाराम ने नायब तहसीलदार, सुरपुरा के न्यायालय में नामांतरण करा लिया था, जिसकी अपील अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के न्यायालय में पेश की गई । जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा दो बार प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया और प्रकरण में निर्देश दिये गये कि प्रकरण का निराकरण हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के निर्देशानुसार प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारंभ करते हुये नामांतरण का आदेश आवेदक के हित में किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा बार–बार प्रकरण प्रत्यावर्तित के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर भिण्ड के यहॉ प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की गई । इसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में पेश की गई जो स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवैध वसीयतनामा के आधार पर

विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सुरपुरा के यहां से नामांतरण करा लिया है । कानूनन पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है । ऐसा मत ए.आई.आर. 1972 सुप्रीम कोर्ट (1279) एम.एन. आर्यमूति एवं अन्य बनाम एम.एल. सुब्बाराव शेट्टी (333) के प्रकरण में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का है । एक पिता अपनी सम्पत्ति की वसीयत एक पुत्र के नाम नहीं कर सकता है । ऐसा ही मत कस्तूरचन्द बनाम कपूरचन्द के प्रकरण में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय का है । दोनों न्यायदृष्टांतों की फोटोस्टेट प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने के पूर्व इस बिन्दु पर विचार ही नहीं किया है वसीयत किन परिस्थितियों लिखी गई है । विशेषकर जब एक वैध उत्तराधिकारी को उसके हित से वंचित किया गया है। ऐसा विल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है । ऐसा मत आर.एन. 1995(65) नारायणदास बनाम तवुबाई के प्रकरण में पारित निर्णय में राजस्व मण्डल का है । विचारण न्यायालय ने अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है । समाचार पत्र में सूचना निकलवाकर एकपक्षीय कार्यवाही कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। अनावेदिका अधिक्षित ग्रामीण महिला है । तामील किये जाने हेतु नियम बनाये गये है, उन नियमों के विपरीत समाचार पत्र में सूचना निकालकर एकपक्षीय कार्यवाही कर विचारण न्यायालय द्वारा विधि विधान के विपरीत निर्णय दिया गया है, जिसे अपील न्यायालय व निगरानी न्यायालय ने निरस्त कर कानून के अनुसार प्रकरण का रिमाण्ड कर न्यायोचित आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है । समाचार पत्र के माध्यम से तामील कराना न्यायसंगत नहीं है । ऐसा मत एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1994(109) लाल मेडिकल स्टोर बनाम स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के प्रकरण में पारित निर्णय माननीय न्यायालय का है । जे.एल.जे. 1992 (489) म0प्र0 स्टेट कॉर्पोरेशन बनाम दशरथ के प्रकरण में पारित निर्ण में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है –परिसीमा –अपीलीय धारा 5 तथा 14 परिसीमा का प्रश्न मामले का गुणागुण पर निपटारा करने के लिये न्यायालयों को उदार अभिगम अपनाना आवश्यक है । ए.आई.आर. 1987 एस.सी. अनुसरित न्यायदृष्टांत पेश है । ऐसा ही मत रे0 निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय का है । ऐसा ही मत एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1997 II(223) नूर मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. के प्रकरण में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय का है । अनावेदिका के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह तथ्य प्रकट है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि पर अभिलखित भूमिस्वामी छोटेला पुत्र शिवलाल के स्थान पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र मय वसीयतनामा की प्रति के साथ पेश किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदिका जो की प्रकरण में हितबद्ध पक्षकर थी उसको कोई सूचना नहीं दी गई । आवेदक को साक्ष्य आदि देकर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया । वैसे तो अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित दोनों आदेशों में विस्तृत विवेचना की जाकर अनावेदिका को आवश्यक पक्षकार एवं हितबद्ध पक्षकार माना है । इस बिन्दु पर सुस्पष्ट विवेचना की जा चुकी है कि वह किस कारण से विवादित भूमि पर हित रखती है । क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा दो बार अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा नामांतरण आदेश को निरस्त किया जाकर अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद ही प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । सर्वप्रथम तो विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों पर विधिवत पालन नहीं किया। विचारण न्यायालय को चाहिये था कि नामातंरण आदेश पारित किये जाने के पूर्व नामांतरण नियमों के तहत विवादित भूमि पर हित रखने वाले संभी पक्षकारन को विधिवत व्यक्तिशः सूचना देते । इसके पश्चात उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते तद्परांत ही प्रकरण का निराकरण प्रकरण में आये उभयपक्षों के साक्ष्य तथा अभिलेखों का गहन अध्ययन किये जाने के बाद गुणदोषों के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित करते । किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया । इस संबंध में विचारण न्यायालय को न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जाना चाहिये था । राजस्व मण्डल द्वारा रे0नि0 1995 पृष्ठ 65 नारायण प्रसाद विरूद्ध सूनदाई में पारित आदेश दिनांक 29.09.94 में यह माना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि उक्त सारांश यह है कि यद्यपि वसीयतनामा प्रमाणित हो जाता है फिर भी कोर्ट की यह जिम्मेदारी रह जाती है कि वह यह देखें की वसयीतनामा किन परिस्थितियों में लिखा गया है । विशेषकर जब वसीयतनामा एक वारिस को समस्त सम्पत्ति से वंचित किया गया हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सिद्धांत इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होता है । क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कतई विचार ही नहीं किया गया । वसीयतनामा आवेदक के हक में लिख गया है जो अभिलिखित भूमिस्वामी छोटेलाल का पुत्र तथा अनोवदिका अभिलिखित भूमिस्वामी छोटेलाल के

दूसरे पुत्र फूलसिंह की पत्नी यानि की पुत्रवधु है । फूलसिंह की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी भूरादेवी को समपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है । इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा विवेचना की जा चुकी है ।

6/ अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.06.99 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस आधार पर त्रुटिपूर्ण माना कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा संहिता की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को जो अनावेदिका द्वारा पेश किया गया था, को स्वीकार करते हुये, प्रस्तुत अपील को अवधि अन्दर मान्य करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा ऐसी कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं की थी, जिसे प्रस्तुत पुनरीक्षक में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक होता । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा वही किया गया जो न्याय की मंशा थी । अनावेदिका जो की अभिलिखित भूमिस्वामी की पुत्रवधु थी। चूँकि पूर्व में उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन पैत्रिक सम्पत्ति पर उसका भी उतना ही हक व अधिकार बनता है जितना की वसीयतर्कता का । क्योंकि वसीयतर्कता भी अभिलिखत भूमिस्वामी की पुत्र है । एक बात और शंका को जन्म देती है कि जब अभिलिखित भूमिस्वामी का पुत्र आवेदक था, तो वसीयत कराने की क्या आवश्यकता हुई। पिता के मरने के बाद पुत्र का कानूनन हक बनता है। पिता के मरने के बाद यदि आवेदक एकमात्र वारिस होता तो निश्चित रूप से वारिसान के आधार पर उसका नामांतरण स्वतः ही हो जाता । फिर वसीयत लिखने की क्या आवश्यकता हुई अथवा क्या परिस्थितियां बनी। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.98 स्थिर रखा है जो कि उचित है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2001 यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर